विदेशी मुद्रा गतिविधियां

अक्तूबर 2007

(i) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता - उदारीकरण

वर्तमान उपबंधों के अनुसार भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता नाम से जाना जाता है, एफईएमए अधिसूचना सं.10 की अनुसूची में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता योजना के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन खोलने और रखने की अनुमति है।

हाल ही के वैश्विक और घरेलू गतिविधियों के मद्देनज़र और वैश्विक बाज़ारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों को अवसर प्रदान करने हेतु, भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि सभी निर्यातकों को उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में प्रति निर्यातक 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की बकाया शेष राशि पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार अब खाताधारकों को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की बकाया शेष राशि एक वर्ष के लिए 31 अक्तूबर 2008 को या उससे पहले परिपक्व होनेवाले मीयादी जमा के रूप में रखने की अनुमति है।

यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है जो 31अक्तूबर 2008 तक वैध है और आगे समीक्षा के अधीन होगा।

(ए पी (डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.13
दिनांक 6 अक्तूबर 2007)

(ii) धन शोधन निवारण (एंटी मनी लाउंडरिंग) मार्गदर्शी सिद्धांत

2 दिसंबर 2005 के हमारे ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18ए.पी. (एफएल सिरीज़) परिपत्र

सं.01 और 26 जून 2006 के हमारे ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39 ए.पी. (एफआइ सिरीज़) परिपत्र सं.02 द्वारा जारी कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रियान्वयन में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक संघों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अनुदेशों को संशोधित किया गया है।

(क) 26 जून 2006 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39 [ए.पी.(एफएल सिरीज़) परिपत्र सं.02] के संलग्नक के पैरा 4 (ग) के अनुसार विदेशी पर्यटकों/ अनिवासी भारतीयों द्वारा नकद भुगतान के अनुरोध को 2000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि की सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। इस सीमा को बढ़ाकर 3000 अमरीकी डालर कर दिया गया है। परिपत्र के संलग्नक के पैरा 4(ग) के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(ख) 2 दिसंबर 2005 के हमारे ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18 [ए.पी. (एफएल सिरीज़) परिपत्र सं.01] के संलग्नक के पैरा 6 के अनुसार कंपनी/फर्म जैसी व्यावसायिक संस्थाओं के नाम,पते और व्यावसायिक कार्यकलाप के समर्थन में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमन का प्रमाणपत्र, संस्था के बहिर्नियम , संस्था के अंतर्नियम, फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि पंजीकृत है),भागीदारी विलेख ,जैसे उपयुक्त दस्तावेज़ प्राप्त और सत्यापित करने के बाद ही उनसे संबंध स्थापित किया जाना चाहिए ।अब यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी/ फर्मों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा एक उपयुक्त दस्तावेज़ के रूप में पैन कार्ड को भी स्वीकार किया जाए। उपर्युक्त परिपत्र के संलग्नक के पैरा 6 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

(ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14 दिनांक 17 अक्तूबर 2007)

(iii) वायदा संविदाओं की बुकिंग - उदारीकरण

वर्तमान फेमा के उपबंधों के अधीन भारत में निवासी व्यक्तियों को अंतर्निहित ऋण जोखिम के आधार पर वायदा संविदाएं करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, निर्यातकों और आयातकों को ऋण जोखिम की घोषणा और पिछले कार्यनिष्पादन के अधार पर विशिष्ट शर्तों के अधीन वायदा संविदाएं बुक करने की भी अनुमति दी गई है।

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 142 और 143) में की गई घोषणा के अनुसार, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा निवासी व्यक्तियों को ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से वायदा संविदाओं के कार्यक्षेत्र और दायरे को और उदार बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि ऐसे उद्यम अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को सक्रिय रूप से हेज कर सकें।

लघु और मध्यम उद्यम (पैरा 142)

प्रत्यक्ष और/अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा जोखिमवाले लघु और मध्यम उद्यमों को उनके ऋण जोखिम के सक्रिय रूप से प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह निश्चय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऐसे उद्यमों को कतिपय शर्तों पर, बगैर अंतर्निहित दस्तावेज प्रस्तुत किए, वायदा संविदाएं बुक/रद्द/पुनःबुक/रोल ओवर करने की अनुमति दें।

निवासी व्यक्ति (पैरा 143)

निवासी व्यक्तियों को वास्तविक अथवा अपेक्षित प्रेषणों, आवक और जावक दोनों, से होनेवाले उनके विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन/ हेजिंग को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें स्वतः घोषणा के आधार पर 100,000 अमरीकी डॉलर की सीमा तक बगैर अंतर्निहित दस्तावेजों की प्रस्तुति के वायदा संविदाएं बुक करने की अनुमति दी जाए। इस सुविधा के अधीन बुक की गई संविदाएं सामान्यतः सुपुर्दगी योग्य आधार पर होंगी। तथापि, नकदी प्रवाह में विसंगति अथवा अन्य अत्यावश्यकताओं के मामले में इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गई संविदाओं को रद्द अथवा पुनःबुक करने की अनुमति दी जाए। बकाया करारों का आनुमानिक मूल्य किसी भी समय 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक न हो। इसके अलावा, केवल एक वर्ष तक की टेनोर की संविदाएं बुक करने की अनुमति दी जाए।

(ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.15
दिनांक 29 अक्तूबर 2007)

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण परियोजना के लिए रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को एग्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को 2 जुलाई 2007 को हुए ऋण करार के तहत कुल 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उधारकर्ता देश में सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण परियोजना हेतु परामर्श सेवाओं सहित पात्र माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध कराने के लिए करार किया है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं। इस करार के तहत निर्यात-आयात बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम-से-कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेता द्वारा की जाएगी।

(ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.16
दिनांक 31 अक्तूबर 2007)